न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, {पीलीभीत}

मूल वाद संख्या 36/2003

सूरज पाल ––बनाम–– मिश्री लाल आदि।।

दिनांक 03.05.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित आये। प्रतिवादी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र 249क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते वक्त लिखित कथन में कुछ तथ्य समाहित होने से रह गये है। जिन्हे लिखित कथन में समाहित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने लिखित कथन के चरण संख्या 18 के पश्चात् क्रमशः नई चरण संख्या 19, 20 व 21 डालकर निम्नवत् लिखे जाने का आदेश पारित करनें की कृपा करें।

19– यह कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जगह पर अवैध रूप से कब्जा करनें से निषेधित करता है।

20– यह कि उत्तरदाता का मकान दलित बस्ती में है तथा उक्त दलित बस्ती में अन्य पिछडा व अन्य सामान्य वर्ग आदि का कोई मकान नही है और न ही कोई पट्टा आवंटित किया गया है।

21– यह कि उत्तरदाता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए शासनादेश 1975 उद्धरण 1981, 3 जून 1995, अगस्त 2003 व 2007 के अन्तर्गत भी आता है।

वादी की ओर से आपत्ति 206ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति बदल रही है एवं विलम्ब का प्रश्न उठाते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित संशोधन के जरिए न तो प्रतिवादी अपने अभिवचनों को वापस ले रहा है और न ही उससे वाद की प्रकृति परिवर्तित हो रही है। अतः वाद की बहूलता को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है। जहॉ तक विलम्ब का प्रश्न है तो उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से सम्भव है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 249क मु0 300/–रू0 पर स्वीकार किया जाता है, वॉछित संशोधन अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जवाबुल जवाब दिनांक 03.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज, (जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।